संख्या-62/2016/2882/30-3-16-75बी/2000टीसी(कम्प्यूटरीकरण)

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 14 दिसम्बर, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-187कं0से0/2016-(डी0डी0)/वाल्यू-2016, दिनॉक 11-05-2016 व पत्र संख्या-321कं0से0/2016-16कं0से0(डीडी)/07-।।।, दिनॉक 07-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में प्रावधानित धनराशि रू0 4,75,00,000/- (रू0 चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को अवमुक्त करके निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22-03-2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन के कार्य हेतु नियुक्त संस्था यूपीडेस्को के द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों में पूर्व में स्वीकृत धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त अगले भुगतान हेतु कार्यवाही की जाये।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ़)
विशेष सचिव।

संख्या-62/2016/2882(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ़)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।